भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 933

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

933. एडवोकेट ए॰एम॰ आरिफः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और उनके कर्त्तव्य और वेतन/तनख्वाह कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों को अपनी देखभाल के अंतर्गत आधारभूत सुविधाएं प्रदान की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उनसे परिवाद/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मूलभूत न्यूनतम मजदूरी और नियमित रोजगार के संबंध में भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें सत्र की सिफारिशों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : देश भर में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायकों की राज्य वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। आंगनवाड़ी सेवा (अम्ब्रेला आईसीडीएस योजना के तहत) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की सेवाएं अवैतनिक मानी गई हैं। माना गया है कि स्थानीय समुदाय के ये कार्यकर्ता/सहायक वैसे लोग होते हैं जो क्षेत्र के बच्चों की देखभाल

और विकास के लिए अंशकालिक आधार पर अपनी सेवाएं देने को सामने आते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों की जिम्मेदारियां और कर्तव्य का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अवैतनिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 45,00 रुपए प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 1,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायकों को 1 अक्टूबर,2018 से लागू प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन राशि 250 रुपए प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस-सीएएस के प्रयोग करने के लिए यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। भारत सरकार द्वारा मानदेय भुगतान किए जाने के साथ ही संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश भी अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अनुलग्नक-III में यथा-वर्णित अनुसार प्रोत्साहन राशि देती है।

(ख) : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक 180 दिनों के सवेतन मातृत्व अवकाश, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार, प्रति वर्ष दो सेट वर्दी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (18-50 वर्ष के उम्र की कर्मियों के लिए), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (18-59 वर्ष के उम्र की कर्मियों के लिए), प्रधानमंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना (53-59 वर्ष के उम्र की कर्मियों के लिए) के तहत बीमा के हकदार होती हैं।

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत बच्चों को कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इनमें पूरक पोषक (एसएनपी), स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोश्ज्ञण एंव स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत अन्य सेवाओं में शौचालय, सुरक्षित पेयजल की सुविधा, शिक्षा मॉड्यूल आदि बच्चों को प्रदान करने का प्रावधान है।

(ग) : मंत्रालय को समय-समय कई कई तरह की शिकायतें / फरियादें मिलती रहती हैं।चूंकि आंगनवाड़ी सेवाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित सेवाएं हैं और फील्ड कर्मियों सहित प्रशासन,प्रबंधन एवं निगरानी का काम संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसलिए, शिकायतों/फरियादों को उपचारात्मक उपाय करने के लिए उन्हें भेज दिया जाता है।

(घ) एवं (ड.) : केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं (आंगनवाड़ी, मीड-डे मिल, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य योजनाओं) में नियोजित विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तें, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन समिति की सिफारिशों को विभिन्न केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के तहत 45 वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल कर लिय गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायकों के लिए की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

I. सबसे पहले उनको 'श्रमिक' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें स्वैच्छिक या अवैतनिक कार्यकर्ता नहीं माना जाना चाहिए।

II. उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

III. उन्हें पेंशन, ग्रैच्यूटी, मात्त्व अवकाश आदि जैसे हर तरह की सुरक्षा के लाभ दिए जाने चाहिए।

IV. असंगठित मजूदरों को मिलने वाली आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)और राष्ट्रीय बीमा योजना (आरएसबीवाई) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ इन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए।

V. आंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी हालात वाले पक्का भवन में होना चाहिए और इनमें सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलबध होनी चाहिए। इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं को भी बुनियादी सुविधाओं के साथ काम करने के लिए समुचित स्थान उपलबध कराया जाना चाहिए।

VI. उन्हें सामूहिक रूप से मोल-भाव करने और संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए।

VII. इन कार्यकर्ताओं के रोजगार और सेवा शर्तों (जहां ये मौजूद नहीं हैं) को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभागों को 'रोजगार स्थायी आदेश' सूत्रबद्ध करना चाहिए।

VIII. वैसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायक जो सेवानिवृत्त हो गई हैं या जो निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाली हैं उन्हें एक बार गैच्यूटी/एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

IX. ऐसे कार्यकर्ता जो संविदा के आधार पर रखे गए हैं को ऐसी सभी अनुवर्ती गतिविधियों के लिए काम पर बरकरार रखा जाना चाहिए।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 22.11.2019 को लोकसभा में उत्तरार्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधी एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री धैर्यशील, संभाजीराव माने , डॉ. सुजय राधाकृष्णन विखे पाटिल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदें द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सं.		आंगनवाड़ी सहायकों की सं.	
		स्वीकृत	वर्तमान तादाद	स्वीकृत	वर्तमान तादाद
1	आंध्र प्रदेश	55607	54101	48768	45650
2	तेलंगाना	35700	34051	31711	29401
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	6225	6225
4	असम	62153	61038	56728	55949
5	बिहार	115009	98569	107894	88981
6	छत्तीसगढ़	52474	50094	46660	43767
7	गोवा	1262	1209	1262	1219
8	गुजरात	53029	51859	51229	48945
9	हरियाणा	25962	25150	25450	24600
10	हिमाचल प्रदेश	18925	18761	18386	18164
11	जम्मू और कश्मीर	31938	29599	31938	29599
12	झारखंड	38432	37678	35881	35023
13	कर्नाटक	65911	64686	62580	60058
14	केरल	33318	33115	33189	32986
15	मध्य प्रदेश	97135	96015	84465	83244
16	महाराष्ट्र	110486	105739	97475	90047
17	मणिपुर	11510	11510	9958	9958
18	मेघालय	5896	5896	4630	4629
19	मिजोरम	2244	2244	2244	2157
20	नागालैंड	3980	3980	3980	3980
21	ओडिशा	74154	71424	63738	61623
22	पंजाब	27314	26695	26074	23789
23	राजस्थान	62010	59451	55806	53243
24	सिक्किम	1308	1308	1308	1308
25	तमिलनाडु	54439	49631	49499	44070
26	त्रिपुरा	10145	9911	10145	9911
27	उत्तर प्रदेश	190145	171910	167855	145454
28	उत्तराखंड	20067	19498	14947	14306
29	पश्चिम बंगाल	119481	107582	119481	100759
30	अंडमान व निकोबार द्वीप	720	719	689	689
31	चंडीगढ़	450	447	450	449
32	दिल्ली	10897	9397	10897	10732
33	दादर और नागर हवेली	302	302	247	233
34	दमन और दीव	107	102	107	102
35	लक्षद्वीप	107	107	96	96

36	पुदुचेरी	855	855	855	855
	योग	**13,99,697**	**13,20,858**	**12,82,847**	**11,82,201**

अनुलग्नक-

II

दिनांक 22.11.2019 को लोकसभा में उत्तरार्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधी एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री धैर्यशील, संभाजीराव माने , डॉ. सुजय राधाकृष्णन विखे पाटिल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदें द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं कर भूमिका और जिम्मदारियां :

I. कार्क्रमों को चलाने में समुदाय का समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करना।

II. हर महीने प्रत्यक बच्चे का वजन लेना, ग्रोथ कार्ड पर वजन का ग्राफिकली दर्ज करना, उन केन्द्रों / पीएचसीआदि में में माताओं/ बच्चों के मामले भेजने के लिए रेफरल कोंर्ड का प्रयोग करना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बाल कार्ड का रखरखाव करना और मेडिकल और परामेडिकल कर्मचारियों के दौरों के समय उनके सामने प्रस्तुत करना।

III. साल में एक बार सभी परिवारों खासकर अपने काम करने के क्षेत्र की माताओं और बच्चों का तुरंत सर्वे करना।

IV. 3-6 वर्ष आयु वर्ग के आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अनौपचारिक स्कूल पूर्व गतिविधियां आयोजित करना और उन्हें आंगनवाड़ी में प्रयोग किए जाने के लिए देसी समानों से खिलौने और खेल के अन्य सामानों को डिजायन करने में मदद करना।

V. बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थें एवं व्यंजनों से पूरक पोषक भोजन तैयार करना।

VI. दूध पिलाने वाली युवा माताओं/ नवजात को दूध पिलाने की प्रथा के बारे में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सलाह देना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के स्थानीय समुदाय के नजदीक होने के नाते वे विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन / जन्म दर पर नियंत्रण करने के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

VII. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को अपने बच्चें के जन्म का पंजीकरण कराने में गांव के केन्द्र का दौरा करने में मदद तथा समन्वय करन और जन्म पंजकारक के रूप में गावं स्तर अधिसूचित कर्मियों के साथ सूचना का साझा करना।

VIII. घरों का दौरा करना और माता-पिता को नवजात बच्चे के विशेष रूप से संवर्द्धन एवं विकास में प्रभावी भूमिका निभाने तथा योजना बनाने के लिए शिक्षित करना ।

IX. जैसा कि निर्धारित किया गया हो, उसके अनुसार फाइलों और रिकार्ड का रखरखाव करना

X. पीएचसी कर्मियों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच पूर्व प्रसव और प्रसव पश्चात जांच आदि जैसे स्वास्थ्य घटकों को कार्यान्वयन करने में मदद करना।

XI. आईएफए और विटामिन ए दोनों दवाओं का स्टॉक केन्द्र में रखकर एनएम को एएनएम को इनकी खुराक पिलाने में मदद करना। बिना स्टाक के रिकार्ड के उनका मुख्य काम प्रभावित हो सकता है। यह उनका प्रशासनिक कार्य है।

XII. आईसीडीएस के तहत संग्रहकिए गए आंकड़ों को एएनएम के साथ साझा करना। हालांकि एनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त आंकड़ो पर एक तरप्फ विश्वास नहीं कर सकता।

XIII. गांव में होने वाले किसी भी तरह के विकास विषेषकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की व्यवस्था करने की आवश्यकता वाले काम जिसके लिए सुपरवाइजर/ सीडीपीओ के हस्तक्षेप की जरूरत हो को उनके नोटिस में लाना।

XIV. अपने काम से संबंधित अन्य संस्थानों (महिला मंडल) और महिला स्कूल शिक्षिकाओं तथा लड़कियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

XV. आईसीडीएस योजना के तहत रिकार्ड के रखरखाव और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तैनात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों (एएसएचए) का मार्गदर्शन करना।

XVI. किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) कार्यान्वयन करने में मदद करना और आमतौर पर किशोरियों और उनके माता-पिता, समुदाय को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम/ अभियान आदि का आोजन करना।

XVII. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किशोरियों के लिए पोषक कार्यक्रम (एनपीएजी) के कार्यान्वयन में एनपीएजी के दिशानिर्देशों के अनुसरा मदद करेगी और एनपीएजी में निर्धारित रिकार्ड का रखरखाव करेगी।

XVIII. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आरसीएच किट/गर्भ निरोधकों और डिस्पोज़ेबल डिलीवरी किट्स के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य कर सकती है । तथापि, डिलीवरी किट्स का वास्तविक वितरण या ओटीसी (काउंटर पर दी जाने वाली दवाएं) के अतिरिक्त दवाइयां देने संबंधी कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार एएनएम या आशा द्वारा किया जा सकता है ।

XIX. गृह दौरों के दौरान बच्चों में नि:शक्तता की पहचान करना और मामले को तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला नि:शक्तता पुनर्वास केंद्र को संदर्भित करना ।

XX. पल्प-पोलियो टीकाकरण (पीपीआई) अभियानों को आयोजित करने में मदद करना ।

XXI. आपातिक मामलों जैसे अतिसार, हैज़ा आदि के मामले में एएनएम को सूचित करना ।

आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां

I. भोजन पकाना और बच्चों तथा मार्चर्स को सर्व करना ।

II. आंगनवाड़ी परिसर को रोज़ाना साफ करना और पानी लाना ।

III. छोटे बच्चों को साफ-करना ।

IV. गांव से छोटे बच्चों को एकत्र करके आंगनवाड़ी में लाना ।

अनुलग्नक-III

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, डॉ. सुजय राधाकृष्णन विखे पाटिल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिनांक 22.11.2019 को लोकसभा में उत्तरार्थ पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को अपने निजी संसाधनों में से दिए गए अतिरिक्त मानदेय का विवरण (30.10.2019 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रू. में)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू)	आंगनवाडी सहायिका (एडब्ल्यूएच)
1.	अंडमान और निकोबार	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	1200	700
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	750	375
6.	चंडीगढ़	2000	1000
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादरा नगर हवेली	1000	600
9.	दमन और दीव	1000	600
10.	दिल्ली	6678	3339
11.	गोवा	3062-11937*	3000-6000*
12.	गुजरात	3300	1700
13.	हरयाणा	7286-8429*	4215
14.	हिमाचल प्रदेश	1750	900
15.	जम्मू और कश्मीर	600	340
16.	झारखंड	1400	700
17.	कर्नाटक	5000	2500
18.	केरल	2000	2000
19.	लक्षद्वीप	3000	2000
20.	मध्य प्रदेश	7000	3500
21.	महाराष्ट्र	2000	1000
22.	मणिपुर	100	50
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	ओडिशा	1000	500
25.	पुडुचेरी	600	300
26.	पंजाब	2600	1300
27.	राजस्थान	1724-1736*	1065
28.	सिक्किम	2225	1500
29.	उत्तराखंड	3000	1500
30.	पश्चिम बंगाल	1300	1300
31.	उत्तर प्रदेश	1000	500
32.	नगालैंड	शून्य	शून्य
33.	मिजोरम	294-306*	150
34.	तमिल नाडु	6750 (जिसमें वेतन-2500, जीपी-500, और डीए-3750 शामिल है)	4275 (जिसमें वेतन -1500, जीपी-400, और डीए-2375 शामिल है)
35.	तेलंगाना	6000	3750
36.	त्रिपूरा	2865	1924

* योगयता और / या सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर